न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : स्वाति आर.टी.एस

मिसल नं.– 36/2023

सरकार बनाम बनवारी पुत्र जगमाल, जाति कुम्हार
निवासी भावठडी तहसील सुरजगढ

किस्म मुकदमा–अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः 22.06.2023

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में सक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल बनवारी पुत्र जगमाल, जाति कुम्हार निवासी भावठडी तहसील सुरजगढ द्वारा रोही मौजा भावठडी की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1388/471 के कुल रकबा 0.0424 है. किस्म गै. मु. रास्ता में से 0.0424 है. भूमि पर कपास की फसल व ईट पत्थर एव टीनशैड डालकर कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गयी। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया गैर सायल ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया। गैर सायल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्व बेदखल करने के आदेश दिए जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 13 रूपए कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवायी जावे।। पटवारी/गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतू लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति)
तहसीलदार, सूरजगढ़

18
ए० सी० स० 4 के वृत्त में ..... पर
वर्ष 2024 ..... में ..... 13 कायम किए
राजस्व लेखाकार